



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092020-222014

CG-DL-W-26092020-222014

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26—अक्तूबर 2, 2020 (आश्विन 4, 1942)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26—OCTOBER 2, 2020 (ASVINA 4, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई, दिनांक 27 मार्च 2020

सं. विवि. सं. आरईटी.बीसी.54/12.01.001 /2019-20—जहां, केंद्र सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 04 मार्च 2020 को प्रकाशित दिनांक 04 मार्च 2020 की अधिसूचना जी.एस.आर. 156 (ई) द्वारा 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ समामेलन की स्वीकृति प्रदान की है;

अतः, अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया जाए क्योंकि यह बैंक उक्त दिनांक से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देंगे।

लिलि वडेरा
कार्यपालक निदेशक

सं. विवि. सं. आरईटी.बीसी.55/12.01.001/2019-20—जहां, केंद्र सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 04 मार्च 2020 को प्रकाशित

दिनांक 04 मार्च 2020 की अधिसूचना जी.एस.आर 154 (ई) द्वारा 1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेलन की स्वीकृति प्रदान की है;

अतः अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल 2020 से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया जाए क्योंकि ये बैंक उक्त दिनांक से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देंगे।

लिलि वडेरा

कार्यपालक निदेशक

सं. विवि. सं. आरईटी.बीसी.56/12.01.001/2019-20—जहां, केंद्र सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 04 मार्च 2020 को प्रकाशित दिनांक 04 मार्च 2020 की अधिसूचना जी.एस.आर 153 (ई) द्वारा 1 अप्रैल 2020 से ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नैशनल बैंक के साथ समामेलन की स्वीकृति प्रदान की है;

अतः अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल 2020 से ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया जाए क्योंकि ये बैंक उक्त दिनांक से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देंगे।

लिलि वडेरा

कार्यपालक निदेशक

सं. विवि. सं. आरईटी.बीसी.57/12.01.001/2019-20—जहां, केंद्र सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 04 मार्च 2020 को प्रकाशित दिनांक 04 मार्च 2020 की अधिसूचना जी.एस.आर 155 (ई) द्वारा 1 अप्रैल 2020 से सिंडीकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ समामेलन की स्वीकृति प्रदान की है;

अतः अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल 2020 से सिंडीकेट बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया जाए क्योंकि यह बैंक उक्त दिनांक से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देंगे।

लिलि वडेरा

कार्यपालक निदेशक

हरियाणा वक्फ बोर्ड

अम्बाला छावनी, दिनांक 11 फरवरी 2020

शुद्धिपत्र

सं. वक्फ/45(साधारण)/शुद्धिपत्र/520/2020/5801—1. अधिसूचना जो भारत के राजपत्र संख्या 42, भाग—III, खण्ड—4, दिनांक 17 अक्टूबर, 1970 के कॉलम संख्या 5, क्रम संख्या 1597, पृष्ठ संख्या 1645 पर प्रकाशित है जोकि भूलवश छप गया था, अब इसे राजस्व रिकार्ड के अनुसार गांव सिरसा, तहसील व जिला सिरसा पुराना खसरा नं. 18 मिन, रकबा 01 कनाल—15मरले के स्थान पर, नया खसरा नं. 796 मिन रकबा 08 कनाल—15मरले पढ़ा जाए।

2. अधिसूचना जो भारत के राजपत्र संख्या 42, भाग—III, खण्ड—4, दिनांक 19 अक्टूबर 1970 के कॉलम संख्या 6, क्रम संख्या 1715, पृष्ठ संख्या 3003 पर प्रकाशित है जोकि भूलवश छप गया था, अब इसे सर्वे रिकार्ड के अनुसार मस्जिद मेहरबानन, क्रमांक W-5/H/313, स्थित शाहाबाद के स्थान पर W-5/H/343 पढ़ा जाए।

डॉ. हनीफ कुरैशी, आई.पी.एस.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 27th March 2020

No. DOR.No.Ret.BC.54/12.01.001 /2019-20—Whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), accorded its sanction, vide notification G.S.R 156 (E) dated March 04, 2020 published in the Gazette of India on March 04, 2020 to the amalgamation of Allahabad bank into Indian bank with effect from April 01, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Allahabad bank from the Second Schedule to the said Act with effect from April 01, 2020 as those banks would cease to carry on banking business with effect from that date.

LILY VADERA
Executive Director

No. DOR.No.Ret.BC.55/12.01.001 /2019-20—Whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), accorded its sanction, vide notification G.S.R 154 (E) dated March 04, 2020 published in the Gazette of India on March 04, 2020 to the amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India with effect from April 01, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Andhra Bank and Corporation Bank from the Second Schedule to the said Act with effect from April 01, 2020 as those banks would cease to carry on banking business with effect from that date.

LILY VADERA
Executive Director

No. DOR.No.Ret.BC.56/12.01.001 /2019-20—Whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), accorded its sanction, vide notification G.S.R 153 (E) dated March 04, 2020 published in the Gazette of India on March 04, 2020 to the amalgamation of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India into Punjab National Bank with effect from April 01, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India from the Second Schedule to the said Act with effect from April 01, 2020 as those banks would cease to carry on banking business with effect from that date.

LILY VADERA
Executive Director

No. DOR.No.Ret.BC.57/12.01.001 /2019-20—Whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), accorded its sanction, vide notification G.S.R 155 (E) dated March 04, 2020 published in the Gazette of India on March 04, 2020 to the amalgamation of Syndicate bank into Canara bank with effect from April 01, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Syndicate bank from the Second Schedule to the said Act with effect from April 01, 2020 as those banks would cease to carry on banking business with effect from that date.

LILY VADERA
Executive Director

HARYANA WAQF BOARD

Ambala Cantt., the 11th February 2020

CORRIGENDUM

No. Waqf/45(Gen.)/Corrig./520/2020/5801—1. A notification published in the Gazette of India No. 42, Part-III, Section-4, dated 17th October, 1970 at Sr. No. 1597, Page No. 1645 in column No. 5 at village Sirsa, Tehsil & Distt. Sirsa inadvertently printed as area 01K-15M comprised in old Khasra No. 18 min, may be read as new Kh. No. 796 min area 08K-15M as per revenue record.

2. A notification published in the Gazette of India No. 52, Part-III, Section-4, dated 19th December, 1970 at Sr. No. 1715, Page No. 3003 in column No. 6 at Shahabad, inadvertently printed as Mosque Meharbanan, No. W-5/H/313 may be read as W-5/H/343 as per Survey Record.

DR. HANIF QURESHI, IPS
Chief Executive Officer